



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2019/फाल्गुन 16, 1940
No. 172] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2019/ PHALGUNA 16, 1940

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2019

स.का.नि. 197(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 15 और धारा 21 के साथ पठित धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पशुचिकित्सा परिषद (पशुचिकित्सा महाविद्यालयों और पशुचिकित्सा अर्हताओं की मान्यता तथा मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया) नियम, 2017 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पशुचिकित्सा परिषद (पशुचिकित्सा महाविद्यालयों और पशुचिकित्सा अर्हताओं की मान्यता तथा मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पशुचिकित्सा परिषद (पशुचिकित्सा महाविद्यालयों और पशुचिकित्सा अर्हताओं की मान्यता तथा मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया) नियम, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के भाग IV के नियम 12 में, नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम (3) और उप-नियम (4) अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“(3) आवेदक जो उप-नियम (1) के अधीन मान्यता प्राप्त पशुचिकित्सा महाविद्यालय या पशुचिकित्सा संस्थान में छात्रों के प्रवेश की संख्या में वृद्धि करने के लिए अनुरोध करता है, वह न्यूनतम अवसंरचना सृजित करेगा और अनुसूची V में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार पशुचिकित्सा संस्थान में न्यूनतम जनशक्ति नियुक्त करेगा।

(4) इस नियम के अधीन सभी आवेदनों पर अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट की गई अवधि के भीतर कार्रवाई की जाएगी।”

3. उक्त नियमों की अनुसूची - IV के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

“अनुसूची-V

1. मान्यता प्राप्त पशुचिकित्सा अर्हता प्रदान करने का प्रस्ताव करने वाले मान्यता प्राप्त किसी पशुचिकित्सा महाविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा संस्थान में छात्रों के प्रवेश की संख्या 81 से बढ़ाकर 120 करने के लिए नियम 12 में आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व न्यूनतम आवश्यकताएं-

(1) पाठ्यक्रम के लिए वार्षिक प्रवेश को अधिमानतः दो सैद्धांतिक बैचों में विभाजित किया जाएगा, 81 से 100 तक के प्रवेश के लिए, यदि व्याख्यान हॉलों में बैठने की क्षमता 100 प्रवेश को समायोजित करने में सक्षम नहीं है और इसमें 101 से 120 तक के प्रवेश के लिए दो सैद्धांतिक बैच होंगे।

(2) एमएससीई विनियमों में यथा उपबंधित प्रत्येक पशुचिकित्सा महाविद्यालय में सत्रह विभागों में से प्रत्येक विभाग में कम से कम एक आचार्य के साथ-साथ कम-से-कम पांच शिक्षक होंगे।

(3) यदि पाठ्यक्रम के लिए वार्षिक प्रवेश को दो सैद्धांतिक बैचों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक पशुचिकित्सा महाविद्यालय में कम से कम आठ व्याख्यान हॉल होंगे जो ऑडियो-विजुअल प्रक्षेपण सिस्टम से सुसज्जित होंगे,

(4) विभाग-वार निम्नलिखित न्यूनतम जनशक्ति होंगी अर्थात्: -

(क) पशुचिकित्सा शरीर रचना विज्ञान

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह-आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 3;

(ख) पशुचिकित्सा शरीरक्रिया विज्ञान और जीव रसायन विज्ञान

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 4;

(ग) पशुधन उत्पादन प्रबंधन

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 3;

(घ) पशुचिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सहआचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 3;

(ङ.) पशुचिकित्सा विकृति विज्ञान

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सहआचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 3;

(च) पशु आनुवंशिकी और प्रजनन

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 2;

(छ) पशु पोषण

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 2;

(ज) पशुचिकित्सा औषध विज्ञान और विष विज्ञान

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 2;

(झ) पशुचिकित्सा जन स्वास्थ्य और जानपदिक रोग विज्ञान

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 2;

(ञ) पशुचिकित्सा परजीवी विज्ञान

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 3;

(ट) पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 3;

(ठ) पशुचिकित्सा और पशुपालन विस्तार शिक्षा

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 2;

(ड) पशुचिकित्सा शल्य चिकित्सा और विकिरण-चिकित्सा विज्ञान

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 4;

(ढ) पशुचिकित्सा औषधि

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 4;

(ण) पशुचिकित्सा प्रसूति शस्त्र और प्रसूति विज्ञान

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 4

- (5) पशुचिकित्सा शरीरक्रिया विज्ञान विभाग में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी, अर्थात्: -
छात्रों के लिए माइक्रोस्कोप - 15
- (6) पशुचिकित्सा सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी, अर्थात्: -
प्रकाश स्रोत के साथ छात्र माइक्रोस्कोप - 20
- (7) पशुचिकित्सा रोग विभाग के पास निम्नलिखित सुविधाएं होंगी, अर्थात्: -
द्विनेत्री सूक्ष्मदर्शी - 30
- (8) पशु आनुवंशिकी और प्रजनन विभाग निम्नलिखित सुविधाएं होंगी, अर्थात्: -
न्यूनतम 20 से 30 कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर लैब

2. मान्यता प्राप्त पशुचिकित्सा अर्हता प्रदान करने का प्रस्ताव करने वाले किसी मान्यता प्राप्त पशुचिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान में छात्रों की संख्या को 121 से बढ़ाकर 160 करने के लिए नियम 12 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व न्यूनतम आवश्यकताएं:-

- (1) एक कोर्स के लिए छात्रों के प्रवेश की वार्षिक संख्या को दो सैद्धांतिक बैचों में विभाजित किया जाएगा।
- (2) एमएसबीई विनियमों में यथा-उपबंधित प्रत्येक पशुचिकित्सा महाविद्यालय में सत्रह विभागों में से प्रत्येक विभाग में कम से कम एक आचार्य के साथ कम से कम कम-से-कम छ शिष्य होंगे।
- (3) महाविद्यालय के त्रिज्या से बीस किलोमीटर से अनिधक दूरी पर दो पशुचिकित्सा रोग विषयक (क्लिनिकल) कॉम्प्लेक्स होंगे और इसमें अच्छी तरह से बहिरंग और आंतरिक रोगी अनुभाग (कैनाइन सहित) और ग्राहक आवास की सुविधा होगी और कॉम्प्लेक्स में मेडिकल, सर्जिकल, प्रसूतिशास्त्र, नैदानिक और संचारी (एंबुलेटरी) नैदानिक अनुभाग होंगे।
- (4) प्रत्येक पशुचिकित्सा महाविद्यालय में कम से कम आठ व्याख्यान कक्ष होंगे जो ऑडियो-विजुअल प्रक्षेपण प्रणाली से सुसज्जित होंगे।
- (5) विभाग-वार निम्नलिखित न्यूनतम जनशक्ति की आवश्यकता होगी, अर्थात्:

(क) पशुचिकित्सा शरीर रचना विज्ञान

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 4;

(ख) पशुचिकित्सा शरीर क्रियाविज्ञान और जीव रसायन विज्ञान

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 5;

(ग) पशुधन उत्पादन प्रबंधन

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 4;

(घ) पशुचिकित्सा सूक्ष्मजीवन विज्ञान

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 4;

(ड.) पशुचिकित्सा विकृति विज्ञान

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 4;

(च) पशु आनुवंशिकी और प्रजनन

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 3;

(छ) पशु पोषण

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 3;

(ज) पशुचिकित्सा औषधि विज्ञान और विष विज्ञान

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 3;

(झ) पशुचिकित्सा जन स्वास्थ्य और जानपदिक विज्ञान

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 3;

(ञ) पशुचिकित्सा परजीवी विज्ञान

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 4;

(ट) पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 4;

(ठ) पशुचिकित्सा और पशुपालन विस्तार शिक्षा

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 3;

(ड) पशुचिकित्सा शल्यचिकित्सा और विकिरण चिकित्सा विज्ञान

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 5;

(ढ) पशुचिकित्सा औषधि

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 5;

(ण) पशुचिकित्सा प्रसूति शस्त्र और प्रसूतिविज्ञान

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य - 2;
- (iii) सहायक आचार्य - 5;

(त) पशुचिकित्सा नैदानिक परिसर - 2 (दो)

- (i) आचार्य - 1;
- (ii) सह आचार्य (इंटरनशिप) - 2;
- (iii) नैदानिक प्रयोगशाला के लिए सहायक आचार्य नैदानिक रोग विज्ञान - 2;
- (iv) सहायक आचार्य (पशुचिकित्सा जीव रसायन विज्ञान) - 2;
- (v) सहायक आचार्य (मेडिसिन -3, सर्जरी -2, गाइनोकोलॉजी -2) -7;
- (vi) रिकॉर्ड कीपर सह डाटा ऑपरेटर - 2;
- (vii) रजिस्ट्रीकरण सहायक - 2;
- (viii) प्रभारी मेडिकल स्टोर - 2;
- (ix) कम्पाउंडर या फार्मासिस्ट या पशुचिकित्सा और पशुधन विकास सहायक (वीएलडीए) - 8;
- (x) प्रयोगशाला तकनीशियन - 2;
- (xi) रेडियोग्राफर - २.

(6) पशुचिकित्सा शरीर रचना विभाग में निम्नलिखित आवश्यकताएं होंगी:

- (i) अस्थिविज्ञान ओस्ट्योलॉजी और आर्थ्रोलॉजी - 2 प्रयोगशालाएं;
- (ii) सम्बद्ध इम्बामिंग कक्ष के साथ विच्छेदन हॉल - 2 हॉल;
- (iii) ऊतक विज्ञान (हिस्टोलॉजी) और भ्रूणविज्ञान इम्ब्रायलॉजी- 2 प्रयोगशालाएँ;
- (iv) संग्रहालय - एक

(7) पशुचिकित्सा शरीर रचना विभाग में निम्नलिखित सुविधाएँ होंगी:-

- (i) मार्बल-टॉपयुक्त एस.एस टॉप टेबल (ड्रेनेज के साथ) -विच्छेदन के लिए- 20;
- (ii) यौगिक सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप - 60;
- (iii) दूरबीन के सूक्ष्मदर्शी - 20;
- (iv) आटोक्लेव - 2;
- (v) पी एच मीटर - 2;
- (vi) माइक्रोस्कोप के लिए सीसीटीवी संयोजन - 2;
- (vii) स्लाइड वार्मर - 4;
- (viii) अर्धस्वचालित या स्वचालित रोटरी माइक्रोटॉम - 4;

- (ix) ऊतक फ्लोटेशन बाथ - 4;
- (x) हिस्टोइम्बेडर - 2;
- (xi) हुक आदि के साथ पशु उत्थापन इकाई - २;
- (xii) पोस्टमार्टम सेट - 4.

(8) पशुचिकित्सा शरीरक्रिया विभाग के पास निम्नलिखित सुविधाएं होंगी, अर्थात्: -

छात्र के लिए माइक्रोस्कोप - 15

(9) पशुचिकित्सा सूक्ष्मजीव विज्ञान (माइक्रोबायोलॉजी) विभाग में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी, अर्थात्: -

प्रकाश स्रोत के साथ छात्रों के लिए माइक्रोस्कोप - 20

(10) पशुचिकित्सा रोग विज्ञान विभाग में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी, अर्थात्: -

दूरबीन सूक्ष्मदर्शी (माइक्रोस्कोप) - 30

(11) पशु आनुवंशिकी और प्रजनन विभाग में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी, अर्थात्: -

न्यूनतम 20 से 30 कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर लैब।

3. इस अनुसूची के पैरा 1 और पैरा 2 के अधीन रहते हुए, एमएसबीई विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अन्य आवश्यकताएं मान्यताप्राप्त पशुचिकित्सा महाविद्यालय या पशुचिकित्सा संस्थान, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा नियम 12 के अधीन छात्रों की अविकल संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन देने से पूर्व अनुपालन किया जाएगा। ▪

[फा. सं. के-12052-6 / 11/2018-एलएच]

उपमन्यु बसु, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 489 (अ), तारीख 22 मई, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2019

G.S.R. 197(E).— in exercise of the powers conferred by section 64 read with section 15 and section 21 of Indian Veterinary Council Act , 1984 (52 of 1984) , the Central Government hereby makes the following rules to amend the Veterinary Council of India (Procedure for recognition and de-recognition of Veterinary Colleges and Veterinary Qualifications) Rules, 2017, namely :

1. (1) These rules may be called the Veterinary Council of India (Procedure for recognition and derecognition of Veterinary Colleges and Veterinary Qualifications) (Amendment) Rules, 2019

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Veterinary Council of India (Procedure for recognition and de-recognition of Veterinary Colleges and Veterinary Qualifications) Rules, 2017(hereinafter referred to as the said rules), in Part IV, in rule 12, after sub-rule (2), the following sub-rule (3) and (4) shall be inserted, namely:-

“(3) The applicant seeking increase in number of intake of students in the recognised Veterinary College or Veterinary Institution under sub-rule(1) shall create the minimum infrastructure and appoint such minimum manpower as specified in Schedule V.

(4) All applications under this rule shall be processed within such period as specified in Schedule IV”.

3. After SCHEDULE – IV to the said rules, the following schedule shall be inserted, namely:-

“SCHEDULE –V

1. Minimum requirements prior to submission of application in rule 12 for any increase in the number of intake of students from 81 upto 120 in a recognised Veterinary College or a Veterinary Institution offering a recognised Veterinary Qualification. -

(1) The annual admissions for a course shall preferably be divided in two theoretical batches, for admissions from 81 to 100, in case the seating capacity of the lecture halls is not able to accommodate 100 admissions and it shall have two theoretical batches for admissions from 101 to 120.

(2) Each Veterinary College shall exist with a minimum of five teachers with at least one professor in each of the Seventeen Departments as provided in MSVE Regulations.

(3) Each Veterinary College shall have at least eight lecture halls fitted with audio-visual projection system, in case the annual admissions for a course are divided in two theoretical batches.

(4) The following shall be Department-wise minimum manpower, namely:-

(a) VETERINARY ANATOMY

- (i) Professor - 1;
- (ii) Associate Professor – 2;
- (iii) Assistant Professor – 3;

(b) VETERINARY PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

- (i) Professor - 1;
- (ii) Associate Professor – 2;
- (iii) Assistant Professor – 4;

(c) LIVESTOCK PRODUCTION MANAGEMENT

- (i) Professor - 1;
- (ii) Associate Professor – 2;
- (iii) Assistant Professor – 3;

(d) VETERINARY MICROBIOLOGY

- (i) Professor - 1;
- (ii) Associate Professor – 2;
- (iii) Assistant Professor – 3;

(e) VETERINARY PATHOLOGY

- (i) Professor - 1;
- (ii) Associate Professor – 2;
- (iii) Assistant Professor – 3;

(f) ANIMAL GENETICS AND BREEDING

- (i) Professor - 1;
- (ii) Associate Professor – 2;
- (iii) Assistant Professor – 2;

(g) ANIMAL NUTRITION

- (i) Professor - 1;
- (ii) Associate Professor – 2;

- (iii) Assistant Professor – 2;
- (h) VETERINARY PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY
- (i) Professor - 1;
- (ii) Associate Professor – 2;
- (iii) Assistant Professor – 2;
- (i) VETERINARY PUBLIC HEALTH AND EPIDEMIOLOGY
- (i) Professor - 1;
- (ii) Associate Professor – 2;
- (iii) Assistant Professor – 2;
- (j) VETERINARY PARASITOLOGY
- (i) Professor - 1;
- (ii) Associate Professor – 2;
- (iii) Assistant Professor – 3;
- (k) LIVESTOCK PRODUCT TECHNOLOGY
- (i) Professor - 1;
- (ii) Associate Professor – 2;
- (iii) Assistant Professor – 3;
- (l) VETERINARY AND ANIMAL HUSBANDRY EXTENSION EDUCATION
- (i) Professor - 1;
- (ii) Associate Professor – 2;
- (iii) Assistant Professor – 2;
- (m) VETERINARY SURGERY AND RADIOLOGY
- (i) Professor - 1;
- (ii) Associate Professor – 2;
- (iii) Assistant Professor – 4;
- (n) VETERINARY MEDICINE
- (i) Professor - 1;
- (ii) Associate Professor – 2;
- (iii) Assistant Professor – 4;
- (o) VETERINARY GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS
- (i) Professor - 1;
- (ii) Associate Professor – 2;
- (iii) Assistant Professor – 4.
- (5) The Department of Veterinary Physiology shall have the following facilities, namely:-
Student's microscope – 15.
- (6) The Department of Veterinary Microbiology shall have the following facilities, namely:-
Student microscope with light source - 20.
- (7) The Department of Veterinary Pathology shall have the following facilities, namely:-
Binocular microscopes - 30.
- (8) The Department of Animal Genetics and Breeding shall have the following facilities, namely:-
Computers Lab with minimum 20 to 30 Computers.
2. Minimum requirements prior to submission of application under rule 12 for any increase in the number of intake of students from 121 up to 160 in a recognised Veterinary College or Institution offering a recognised Veterinary Qualification .

- (1) The annual number of intake of students for a course shall be divided in two theoretical batches.
- (2) Each Veterinary College shall exist with a minimum of six teachers with at least one professor in each of the Seventeen Departments as provided in MSVE Regulations.
- (3) There shall be two Veterinary Clinical Complexes established not beyond twenty kms of the radius of college and shall also has well equipped outdoor and indoor patient sections (including canine) and client accommodation facilities and the complex shall have medical, surgical, gynecological, diagnostic and ambulatory clinical sections.
- (4) Each Veterinary College shall have at least eight lecture halls fitted with audio-visual projection system.
- (5) The following shall be department-wise minimum manpower requirement, namely:-
 - (a) VETERINARY ANATOMY
 - (i) Professor - 1;
 - (ii) Associate Professor – 2;
 - (iii) Assistant Professor – 4;
 - (b) VETERINARY PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
 - (i) Professor - 1;
 - (ii) Associate Professor – 2;
 - (iii) Assistant Professor – 5;
 - (c) LIVESTOCK PRODUCTION MANAGEMENT
 - (i) Professor - 1;
 - (ii) Associate Professor – 2;
 - (iii) Assistant Professor – 4;
 - (d) VETERINARY MICROBIOLOGY
 - (i) Professor - 1;
 - (ii) Associate Professor – 2;
 - (iii) Assistant Professor – 4;
 - (e) VETERINARY PATHOLOGY
 - (i) Professor - 1;
 - (ii) Associate Professor – 2;
 - (iii) Assistant Professor – 4;
 - (f) ANIMAL GENETICS AND BREEDING
 - (i) Professor - 1;
 - (ii) Associate Professor – 2;
 - (iii) Assistant Professor – 3;
 - (g) ANIMAL NUTRITION
 - (i) Professor - 1;
 - (ii) Associate Professor – 2;

- (iii) Assistant Professor – 3;
- (h) VETERINARY PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY
- (i) Professor - 1;
- (ii) Associate Professor – 2;
- (iii) Assistant Professor – 3;
- (i) VETERINARY PUBLIC HEALTH AND EPIDEMIOLOGY
- (i) Professor - 1;
- (ii) Associate Professor – 2;
- (iii) Assistant Professor – 3;
- (j) VETERINARY PARASITOLOGY
- (i) Professor - 1;
- (ii) Associate Professor – 2;
- (iii) Assistant Professor – 4;
- (k) LIVESTOCK PRODUCT TECHNOLOGY
- (i) Professor - 1;
- (ii) Associate Professor – 2;
- (iii) Assistant Professor – 4;
- (l) VETERINARY AND ANIMAL HUSBANDRY EXTENSION EDUCATION
- (i) Professor - 1;
- (ii) Associate Professor – 2;
- (iii) Assistant Professor – 3;
- (m) VETERINARY SURGERY AND RADIOLOGY
- (i) Professor - 1;
- (ii) Associate Professor – 2;
- (iii) Assistant Professor – 5;
- (n) VETERINARY MEDICINE
- (i) Professor - 1;
- (ii) Associate Professor – 2;
- (iii) Assistant Professor – 5;
- (o) VETERINARY GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS
- (i) Professor - 1;
- (iii) Associate Professor – 2;
- (iii) Assistant Professor – 5;
- (p) VETERINARY CLINICAL COMPLEX – 2(Two)
- (i) Professor - 1;
- (ii) Associate Professor (Internship) – 2;
- (iii) Assistant Professor Clinical Pathology for Diagnostic Laboratory – 2;
- (iv) Assistant Professor (Veterinary Biochemistry) – 2;
- (v) Assistant Professor (Medicine-3, Surgery-2, Gynaecology-2) -7;
- (vi) Record Keeper cum Data Operator – 2;
- (vii) Registration Assistant – 2;
- (viii) In-charge medical store – 2;
- (ix) Compounder or Pharmacist or Veterinary and Livestock Development Assistant (VLDA) – 8;

- (x) Laboratory Technician – 2;
 - (xi) Radiographer – 2.
- (6) The following shall be the requirements in Department of Veterinary Anatomy
- (i) Osteology and Arthrology - 2 laboratories;
 - (ii) Dissection hall with attached embalming rooms - 2 halls;
 - (iii) Histology and Embryology - 2 laboratories;
 - (iv) Museum - one.
- (7) The Department of Veterinary Anatomy shall have the following facilities
- (i) Marble-torpor S.S Top tables (with drainage)- for dissection - 20;
 - (ii) Compound microscopes - 60;
 - (iii) Binocular microscopes - 20;
 - (iv) Autoclave - 2;
 - (v) P H meter - 2;
 - (vi) CCTV attachment for Microscope – 2;
 - (vii) Slide warmer - 4;
 - (viii) Semiautomatic or Automatic rotary microtome – 4;
 - (ix) Tissue floatation bath – 4;
 - (x) Histoembedder - 2;
 - (xi) Animal hoisting unit with hooks etc - 2;
 - (xii) Post mortem sets - 4.
- (8) The Department of Veterinary Physiology shall have the following facilities, namely:-
Student's microscope – 15.
- (9) The Department of Veterinary Microbiology shall have the following facilities, namely:-
Student microscope with light source - 20.
- (10) The Department of Veterinary Pathology shall have the following facilities, namely:-
Binocular microscopes - 30.
- (11) The Department of Animal Genetics and Breeding shall have the following facilities, namely:-
Computers Lab with minimum 20 to 30 Computers.

3. Subject to paragraphs 1 and 2 of this Schedule, the other requirements specified under the MSVE Regulations shall be complied with before making any application for increase in the number of intake of students under rule 12 by the recognised veterinary college or the veterinary institute, as the case may be.”

[F.No. K-12052-6/11/2018-LH]

UPAMANYU BASU, Jt. Secy.

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R.489 (E), dated the 22nd May, 2017.